# न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर

**अपील जी.सी.एम.नम्बर 2024/374**

1. रामस्वरूप पुत्र श्री कल्याण जाति जाट निवासी छिर्रे तहसील व जिला दूदू।

**–अपीलान्ट**

**बनाम**

1. राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार दूदू तहसील व जिला दूदू।
2. राजस्थान राज्य सरकार उप तहसीलदार साखुन तहसील व जिला दूदू।

**–रेस्पोडेन्ट्स**

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध निर्णय जिला कलक्टर दूदू अपील संख्या 10.07.2024 अपील संख्या 02/2024 एंव निर्णय उप तहसीलदार साखून दिनांक 27.02.2024 अंतर्गत धारा 91 प्रकरण संख्या 47/2024 सरकार बनाम रामस्वरूप

**उपस्थित–**

1. श्री रघुवीर सिंह राठौड वकील अपीलान्ट।
2. राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 की ओर से।

**निर्णय**

**दिनांक–10.09.2025**

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत न्यायालय जिला कलक्टर दूदू के अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.07.2024 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है कि यह कि अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर दूदू के समक्ष वाके ग्राम छिर्रे तहसील दूदू में स्थित आराजी खसरा नं. 1700 रकबा 0.13 है0 एवं खसरा नं. 1701 रकबा 0.85 है0 किस्म चारागाह में से 0.25 है0 पर अतिक्रमण करने पर की गई सजा से व्यथित होकर अपील प्रस्तुत की। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट द्वारा अतिक्रमण किये जाने के कारण अपील खारिज किये जाने के आदेश दिनांक 10.07.2024 को दिये गये।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

3. जिला कलक्टर दूदू के उक्त निर्णय दिनांक 10.07.2024 से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम अलवर के निर्णय दिनांक 10.07.2024 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोडेन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय का तहत रिकार्ड तलब किया गया। अपीलांट के योग्य अधिवक्ता एवं राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अपीलार्थी खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि खसरा नम्बर 1698, 1699, 1707, 1708, 1715, 221, 381, 638, 640, 648, 651, 653, 658 कुल किता 13 रकबा 7.8100 हैक्टेयर खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की भूमि है खसरा नम्बर 1698, 1699 के लगवा ही खसरा नम्बर 1700, 1701 जो राजकीय भूमि है जिस पर अपीलार्थी ने किसी प्रकार का अनाधिकृत रूप से ना तो कब्जा नही किया। परन्तु फिर भी विद्वान् अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को उक्त भूमि से बेदखल किये जाने का अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो पूर्णतः अवैध होने की वजह से निरस्तनीय है। अपीलार्थी की भूमि के दोनो दिशाओ की ओर राजकीय भूमि अर्थात चारागाह भूमि है। अपीलार्थी, की खातेदारी भूमि मे जाने के लिए चारागाह भूमि से होते हुये साली छिर्र जाने वाली मुख्य सड़क डामरीकरण है अपीलार्थी की भूमि खसरा नम्बर 1698 व 1699 के उत्तर पश्चिम की ओर चारागाह भूमि खसरा नम्बर 1700 व 1701 स्थित है। अपीलार्थी के पास अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नही है। अपीलार्थी अपनी खातेदारी भूमि पर पूर्वजो के जमाने से मकान, बाड़ा, पशु के चारा के लिए पट्टी टीनपोश आदि का बना रखा है। जिस रास्ते को अपीलार्थीगण अपने पूर्वजो के जमाने से उपयोग–उपभोग करते चले आ रहे है। उस रास्ते में मौके पर गहरे गड्ढे होने के कारण उसको समतल किया है और अपीलार्थी उक्त चारागाह भूमि पर किसी भी प्रकार बाड़ा, पत्थर नही गिरा रखे है जबकि अपीलार्थी ने पूर्व से संचालित रास्ते को सही एवं दुरूस्त किया है। अपीलार्थी के पास जो नोटिस प्राप्त हुआ है उसमे कही भी रास्ते में बाड़ा, पत्थर डालकर कब्जे करने का कोई अंकन नही है। उक्त स्थिति स्पष्ट होने के बावजूद भी विद्वान् अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो पूर्णतः अवैध होने की वजह से निरस्तनीय है ।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

अपीलार्थी ने अपनी खातेदारी की उक्त भूमि में काफी वर्षों पूर्व से रहवास के लिए मकान इत्यादि बना रखे हैं, जो मौके पर विद्यमान है। किसी राजकीय भूमि पर अपीलार्थी ने अतिक्रमण नहीं किया परन्तु फिर भी विद्वान् अधीनस्थ न्यायालय ने

अपीलार्थी को अतिक्रमी होना मानते हुये अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो पूर्णतः अवैध होने की वजह से निरस्तनीय है । वास्तव में मौके पर अपीलार्थी के पास अपने खेत व घर आने–जाने के लिए कोई विद्यमान रास्ता नही है इसलिए अपीलार्थी मजबुरीवश सरकारी भूमि से आने जाने का उपयोग करता है, अपीलार्थी का किसी भी प्रकार का सरकारी भूमि अर्थात चारागाह भूमि पर कब्जे करने का कोई गलत उदेश्य नही है और ऐसी स्थिति में यह माने जाने का कोई आधार नहीं था कि अपीलार्थी ने किसी राजकीय भूमि पर अतिक्रमण कर रखा हो। यदि खसरा नम्बर 1700 1701 की तथाकथित 0.25 हैक्टेयर भूमि पर अपीलार्थी द्वारा अतिक्रमण करना माना भी जावे तो भी राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के स्पष्ट प्रावधानों के अनुरूप अपीलार्थी ने मौके पर किसी भी प्रकार के कोई बाड़ा, पत्थर का मलबा डालकर रास्ता बना हुआ है उसे अगर हटाया जाता है। अपीलार्थी को अपने खेत व घर में आने जाने में गम्भीर असुविधा होगी, जिससे अपीलार्थी को एक क्षति कारित होगी जिसकी पूर्ति धन से भी नही की जा सकती। अपीलार्थी ने भूमि खसरा नम्बर 1700, 1701 पर बनी हुई ग्रेवल सड़क मौके पर यथावत है, अन्य छड़ी पत्थर आदि डालकर किया गया अतिक्रमण हटा लिया गया है मौके पर डाली गयी ग्रेवल सड़क खातेदारी सीमा से लगभग 25 मीटर दुर चारागाह में बनी हुई है। दिनांक 09.07.2024 को फर्द मौका रिपोर्ट बनायी गयी जिसमें गांव के मौजिज व्यक्ति व पटवार हल्का गहलोता के द्वारा रिपोर्ट तैयार की गयी जिस पर बतौर साक्ष्य उपस्थित लोगो ने हस्ताक्षर किये है इससे भी यह स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी का ऐसा कोई उद्देश्य नही है कि वह सरकारी भूमि पर अवैध रूप से कब्जा करे। इसलिए भी अधिनस्थ न्यायालयो द्वारा पारित निर्णयों को निरस्त किया जावे।

6. राजकीय अधिवक्ता ने अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि तहसीलदार रामगढ द्वारा अपीलांट द्वारा सरकारी चारागाह भूमि आराजी खसरा नं. 1700, 1701 पर 0.25 है0 पर बाडा एवं पत्थर अवैध कब्जा कर अतिक्रमण किया गया है। पटवारी हल्का रिपोर्ट अनुसार ही प्रार्थी को अतिक्रमी मानकर भू राजस्व अधिनियम की धारा–91 के तहत् विधिअनुरूप कार्यवाही की है तथा अपीलांट को सजा से दण्डित किया गया है। जो कि उचित एवं विधिसम्यक है, जिसे यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

7. हमने प्रकरण का अवलोकन किया एवं प्रकरण के तथ्यों एवं दस्तावेजी साक्ष्यों पर विचार किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने से जाहिर होता है कि ग्राम छिर्र तहसील दूदू के खसरा नं. 1700 रकबा 0.13 है0, खसरा नमं. 1701 रकबा 0.85 है0 किस्म चारागाह में से 0.25 है0 भूमि पर अपीलार्थी द्वारा अवैध रूप से

बाडा एवं पत्थर का मलवा डालकर अतिक्रमण किये जाने पर उप तहसीलदार द्वारा अपीलार्थी को चारागाह भूमि से बेदखल कर धारा 91(3) के तहत् 60 दिवस की सिविल कारावास की सजा एवं 400/–रूपये पेनल्टी एवं अतिक्रमित भूमि से बेदखल किये जाने के आदेश दिनांक 27.02.2024 को दिये गये। अपील प्रस्तुत होने पर अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर दूदू द्वारा अपीलांर्थी की अपील खारिज किये जाने के आदेश दिनांक 10.07.2024 को दिये गये। अपीलार्थी द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर उक्त खसरा नम्बर 1700 एवं 1701 पर वर्तमान में कोई पत्थर, बजरी एवं भाटा आदि नहीं डाले जाने एवं कोई अतिक्रमण नहीं किया जाना अंकित किया है। अतः ऐसी स्थिति में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र की शर्तों पर उप तहसीलदार द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 91(3) के तहत् 60 दिवस की सिविल कारावास की सजा को नरमी का रूख अपनाते हुये माफ किया जाना उचित समझते हैं।

**अतः आदेश है कि:** अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर दूदू का निर्णय दिनांक 10.07.2024 निरस्त किया जाता है तथा उप तहसीलदार साखून का अपीलाधीन निर्णय 60 दिवस के सिविल कारावास की हद तक निरस्त किया जाता है, शेष आदेश यथावत रखा जाता है।

(पूनम)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर

संभागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 10.09.2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

संभागीय आयुक्त
जयपुर